

कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
बेज 29-30, पॉकेट-II,
सैक्टर-4, पंचकूला।

सेवा में

1. उप श्रम आयुक्त, रोहतक
2. सहायक श्रम आयुक्त, रोहतक, बहादुरगढ़
3. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में
4. सभी श्रम निरीक्षक, रोहतक व झज्जर जिले के
5. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में

क्रमांक : 1483-1512

दिनांक : 04-3-12

विषय :- श्रीमति संतोष कुमारी, अनुदेशिका, श्रम कल्याण केन्द्र, रोहतक की सेवानिवृत्ति के संबंध में बेबाकी पत्र जारी करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि श्रीमति संतोष कुमारी, अनुदेशिका, श्रम कल्याण केन्द्र, रोहतक दिनांक 20-2-1987 से हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में कार्यरत है वह कार्यालय रिकार्ड अनुसार 30-6-2016 को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हो रही है :-

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय को सूचित करें कि आपके कार्यालय में उक्त अनुदेशिका की तरफ कोई राशि इत्यादि देय तो नहीं है ताकि बेबाकी पत्र जारी किया जा सके। यदि आपकी ओर से 15 दिन के अन्दर-अन्दर कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि कर्मचारिका के विरुद्ध आपके कार्यालय की कोई राशि बकाया नहीं है और बेबाकी पत्र जारी कर दिया जाएगा। फिर भी यदि कोई बकाया पता चला तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Balsari

उप श्रम आयुक्त (कल्याण)
कृते: कल्याण आयुक्त, हरियाणा।

पृ० क्रमांक : 1513-19

दिनांक : 09-3-16

उक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. लेखा अधिकारी, श्रम विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।
3. सभी सहायक/कनिष्ठ लेखाकार/केयरटेकर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, आई० टी० सैल।

Balsari

उप श्रम आयुक्त (कल्याण)
कृते: कल्याण आयुक्त, हरियाणा।